

प्रेषक,

सचिवाना, विपरी,
सरकार (विपरी) सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक : 14-06-2018

विषय:- स्थापना एवं व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0001-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-विपत्र कोड-20-2210031100001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹58,45,63,000/- (अठ्ठावन करोड़ छियालीस लाख तिरसठ हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

- उपर्युक्त विवरणी के शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹58,45,63,000/- (अठ्ठावन करोड़ छियालीस लाख तिरसठ हजार रुपये) मात्र आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)
- सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।
- आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0001-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-विपत्र कोड- 20-2210031100001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
- सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी संबंधित रेफरल अस्पताल/प्राथमिक केन्द्र में कार्यरत बल के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के वेतन भत्ता तथा अन्य मद के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी।
- आहार/पथ्य, मशीने एवं उपस्कर, सामग्री एवं पूर्तियाँ, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।
- कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य करेगा।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का संबंध सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्ण हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त आदेशों के संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से सत्यापित करेंगे कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं।

9. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझना। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना।

10. क्रम संवधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-15.03.2001, 241(9) दिनांक-15.03.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 के अलावा दिनांक 28.1.06 के आदेश में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायेगा।

11. सिविल सर्जन (28-02) तथा व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ (28-04) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे।

12. आवंटित राशि से किए गए व्यय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका उपभोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

13. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने में पर्याप्त ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे।


14. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायेगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

15. सामग्री एवं पूर्तियों मद में आवंटित राशि से सतरंगी चादर संबंधित भुगतान की राशि भी सम्मिलित है।

16. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणों टी0भी0 नो एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

17. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,



13/6/18
(सचिवदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापकांक : 18(7)0

पटना, दिनांक : 14-06-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/, सभी जिला पदाधिकारी /सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/ सभी कोषागार पदाधिकारी/ सभी उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।


13/6/18
सरकार के विशेष सचिव
(9)

विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में आइटम सिफ्टर कोड-20-221008110001

क्र.सं.	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन	यात्रा व्यय	कार्यालय खर्च	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव	दूरभाष	दियुत प्रभार	शिष्टि प्रभार	वर्दी/पोषक	सामग्री एवं प्रयोग	सहायक संभार	आहार/पथ्य	सिद्धि सेवाएं	व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएं	भरीने एवं उपस्कर (52-01)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21
1	पटना	1600000	1760000	2400000	320000	800000	21280000	3000	11000	14000	40000	592000	7000	9000	800000	3400000	960000	2500000	2500000	250000	32366000
2	मौजपुर	9000000	990000	1350000	180000	450000	11970000	3000	11000	14000	40000	304000	7000	9000	400000	1800000	720000	2500000	2500000	105000	20383000
3	रोहतास	5500000	605000	825000	110000	275000	7315000	3000	11000	14000	40000	200000	7000	9000	300000	1200000	480000	1250000	1250000	100000	12179000
4	गोपालगंज	9000000	990000	1350000	180000	450000	11970000	3000	11000	14000	40000	304000	7000	9000	400000	2250000	720000	1375000	1375000	250000	18828000
5	मुंगेर	5500000	605000	825000	110000	275000	7315000	3000	11000	14000	40000	200000	7000	9000	400000	3000000	480000	750000	750000	105000	13084000
6	कटिहार	9000000	990000	1350000	180000	450000	11970000	3000	11000	14000	40000	304000	7000	9000	400000	3800000	720000	1875000	1875000	105000	11133000
7	मुंगेर	9000000	990000	1350000	180000	450000	11970000	3000	11000	14000	40000	304000	7000	9000	400000	4800000	480000	1375000	1375000	105000	20883000
8	मुंगेर	16000000	1760000	2400000	320000	800000	21280000	3000	11000	14000	40000	568000	7000	9000	400000	3000000	720000	2500000	1300000	250000	30102000
9	देवना	5500000	605000	825000	110000	275000	7315000	3000	11000	14000	40000	200000	7000	9000	300000	1200000	480000	1250000	1250000	105000	12184000
10	सारन	16000000	1760000	2400000	320000	800000	21280000	3000	11000	14000	40000	352000	7000	9000	300000	1800000	900000	1375000	1375000	250000	27716000
11	सीतामढ़ी	5500000	605000	825000	110000	275000	7315000	3000	11000	14000	40000	200000	7000	9000	300000	1800000	480000	1250000	1250000	105000	12784000
12	समस्तीपुर	4000000	440000	600000	80000	200000	5320000	3000	11000	14000	40000	200000	7000	9000	270000	750000	300000	1250000	1250000	75000	9499000
13	जहानाबाद	16000000	1760000	2400000	320000	800000	21280000	3000	11000	14000	40000	200000	7000	9000	550000	1200000	480000	1250000	1250000	250000	26544000
14	कैमूर	5500000	605000	825000	110000	275000	7315000	3000	11000	14000	40000	200000	7000	9000	400000	1500000	720000	1875000	1875000	105000	14074000
15	जमुई	16000000	1760000	2400000	320000	800000	21280000	3000	11000	14000	40000	304000	7000	9000	300000	1200000	720000	1800000	2500000	105000	28293000
16	शिवहर	4000000	440000	600000	80000	200000	5320000	3000	11000	14000	40000	200000	7000	9000	270000	1200000	300000	625000	625000	75000	8699000
17	केशनगंज	5500000	605000	825000	110000	275000	7315000	3000	11000	14000	40000	200000	7000	9000	300000	1200000	480000	1250000	1250000	105000	12184000
18	बैतिया, प.ब.	5500000	605000	825000	110000	275000	7315000	3000	11000	14000	40000	200000	7000	9000	950000	1200000	480000	1375000	1375000	250000	13229000
19	गया	9000000	990000	1350000	180000	450000	11970000	3000	11000	14000	40000	304000	7000	9000	400000	1800000	720000	1375000	1375000	105000	18133000
20	मौवान	9000000	990000	1350000	180000	450000	11970000	3000	11000	14000	40000	304000	7000	9000	950000	1800000	720000	1375000	2500000	250000	19953000
21	सुपुलिया	5500000	605000	825000	110000	275000	7315000	3000	11000	14000	40000	200000	7000	9000	300000	1200000	500000	750000	2500000	105000	12954000

18 (7) अ
14-06-18

Handwritten signature

57

क्र।	विकास का नाम	वैयक्तिक (01-01)	वैयक्तिक (01-03)	वैयक्तिक (01-04)	वैयक्तिक (01-06)	वैयक्तिक (01-07)	वैयक्तिक (01-08)	वैयक्तिक (01-09)	वैयक्तिक (01-10)	वैयक्तिक (01-11)	वैयक्तिक (01-12)	वैयक्तिक (01-13)	वैयक्तिक (01-14)	वैयक्तिक (01-15)	वैयक्तिक (01-16)	वैयक्तिक (01-17)	वैयक्तिक (01-18)	वैयक्तिक (01-19)	वैयक्तिक (01-20)	वैयक्तिक (01-21)	
1	
2	
22	...	4000000	4400000	6000000	800000	2000000	5320000	3000	11000	14000	40000	2000000	7000	9000	2700000	750000	3000000	625000	625000	75000	
23	...	4000000	4400000	6000000	800000	2000000	5320000	3000	11000	14000	40000	2000000	7000	9000	2700000	750000	3000000	625000	625000	75000	
24	...	4000000	4400000	6000000	800000	2000000	5320000	3000	11000	14000	40000	2000000	7000	9000	2700000	750000	3000000	625000	625000	75000	
25	...	9000000	9900000	13500000	1800000	4500000	11970000	3000	11000	14000	40000	304000	7000	9000	4000000	1200000	480000	1375000	1375000	105000	
26	...	9000000	9900000	13500000	1800000	4500000	11970000	3000	11000	14000	40000	304000	7000	9000	4000000	1200000	480000	1375000	1375000	105000	
27	...	4000000	4400000	6000000	800000	2000000	5320000	3000	11000	14000	40000	2000000	7000	9000	2700000	750000	3000000	625000	625000	75000	
28	...	9000000	9900000	13500000	1800000	4500000	11970000	3000	11000	14000	40000	2000000	7000	9000	8000000	3000000	480000	1250000	2000000	250000	
29	...	10000000	11000000	15000000	2000000	5000000	13300000	3000	11000	14000	40000	592000	7000	9000	9000000	4000000	720000	2500000	2000000	250000	
30	...	9000000	9900000	13500000	1800000	4500000	11970000	3000	11000	14000	40000	304000	7000	9000	4000000	1800000	1000000	1375000	2000000	105000	
31	...	9000000	9900000	13500000	1800000	4500000	11970000	3000	11000	14000	40000	304000	7000	9000	4000000	1200000	720000	1500000	1500000	105000	
32	...	9000000	9900000	13500000	1800000	4500000	11970000	3000	11000	14000	40000	304000	7000	9000	5000000	1800000	720000	1375000	1375000	105000	
33	...	4000000	4400000	6000000	800000	2000000	5320000	3000	11000	14000	40000	2000000	7000	9000	2700000	4000000	3000000	1250000	1250000	150000	
34	...	9000000	9900000	13500000	1800000	4500000	11970000	3000	11000	14000	40000	304000	7000	9000	3000000	1500000	400000	1250000	1250000	105000	
	कुल	279000000	306900000	418500000	55800000	139500000	371070000	102000	374000	476000	1360000	9352000	238000	306000	14640000	64850000	19060000	47425000	50675000	4735000	584663000

(अंशगत करोड़ विभागीय लाख विस्तार हजार) रु० मात्र

18(3)9
14-06-18

संस्कार के निदेश संदिग्ध
316718